## EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB. SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 141—148
Dated : 16-1-93

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

### ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

### अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1992

सा.का.नि. 37.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (परिषद के अधिवेशनों से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 1992 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) अभिप्रेत है।

(ख) "अध्यक्ष" से परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ग) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अभिप्रेत है।

(घ) "सदस्य-सचिव" से परिषद का सदस्य-सचिव अभिप्रेत है।

(ङ) "उपाध्यक्ष" से परिषद का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

3. परिषद के अधिवेशन :—(1) परिषद के अधिवेशन उतनी बार होंगे जितनी बार वह अपने कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक समझे किन्तु एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

(2) अध्यक्ष परिषद के अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और अधिवेशनों की कार्य-सूची की मदें अनुमोदित करेगा।

(3) सदस्य, तब के सिवाय जब अध्यक्ष ने लिखित में अनुपस्थिति की मंजूरी दे दी हो, परिषद् के सभी अधिवेशनों में उपस्थित होगा और अधिवेशन में रखे गए उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा।

4. अधिवेशन की सूचना और कार्य-सूची :—(1) परिषद के प्रत्येक अधिवेशन की लिखित सूचना अधिवेशन के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी।

(2) सूचना में अधिवेशन का स्थान, तारीख और समय वर्णित होगा तथा उसमें संव्यवहार किए जाने के लिए प्रस्तावित कारबार विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) अधिवेशन के कार्य की सामग्री सूचना के साथ या उसके तुरंत पश्चात प्रेषित की जाएगी।

(4) ऐसे किसी कारबार पर, जो कार्य-सूची में नहीं है, यथास्थिति अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या सभापतित्व करने वाले किसी अन्य सदस्य की अनुमति के बिना विचार नहीं किया जाएगा।

5. गणपूर्ति :—(1) परिषद के प्रत्येक अधिवेशन की गणपूर्ति उसके सदस्यों की एक तिहाई संख्या से होगी।

(2) यदि किसी अधिवेशन में गणपूर्ति नहीं होती है तो सभापतित्व करने वाला सदस्य, तीस मिनट तक प्रतीक्षा करने के पश्चात अधिवेशन को उसी दिन के लिए या आगामी दिन या किसी ऐसे अन्य दिन के लिए जो वह ठीक समझे, स्थगित करेगा और ऐसे स्थान की सूचना उपस्थित सदस्यों को दी जाएगी और साथ ही परिषद के सूचना पटल पर लगाई जाएगी तथा वह कारबार जो मूल अधिवेशन के समक्ष पूरा किया जाता यदि गणपूर्ति होती, स्थगित अधिवेशन के समक्ष पूरा किया जाएगा और गणपूर्ति न होने की स्थिति में भी निष्पादित किया जा सकेगा।

6. आपात अधिवेशन.—(1) अध्यक्ष,—

(क) किसी भी समय परिषद का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपेक्षित किसी अत्यावश्यक विषय को निपटाने के लिए परिषद् का आपात अधिवेशन बुला सकेगा।

(ख) यदि वह कम से कम सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त करता है जिसमें वह प्रयोजन अधिकथित है जिसके लिए सदस्य अधिवेशन बुलाने की वांछा करते हैं तो आपात अधिवेशन बुलाएगा।

(2) परिषद के प्रत्येक आपात अधिवेशन की सूचना सभी सदस्यों को अधिवेशन के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व अधिवेशन की कार्य-सूची के साथ दी जाएगी।

7. अधिवेशन का कार्यवृत्त :—(1) सदस्य-सचिव, परिषद के प्रत्येक अधिवेशन के तुरन्त पश्चात्, अधिवेशन का कार्यवृत्त तैयार करेगा और उसे यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापतित्व करने वाले अन्य सदस्य के समक्ष उसके अनुमोदन तथा आगे की कार्रवाई करने के लिए रखेगा। इस प्रकार अनुमोदित कार्यवृत्त परिषद् के सदस्यों को उनकी टिप्पणी के लिए, यदि कोई हो, परिचालित किया जाएगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन परिचालित किया गया कार्यवृत्त परिषद के समक्ष संपुष्टि के लिए रखा जाएगा और ऐसे उपांतरणों के, यदि कोई हों, अधीन होगा जैसे परिषद उनमें करना ठीक समझे तथा इस प्रकार अनुमोदित कार्यवृत्त पर, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापतित्व करने वाला सदस्य हस्ताक्षर करेगा और उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा।

[सं. एफ. 1-69/88-एआईसीटीई]
डा. के. गोपालन, शिक्षा सलाहकार (टी)
सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1992

G.S.R. 37.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 23 read with sub-section (1) of section 5 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the All India Council for Technical Education